न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/1086/रीएडीएम/ 2020/ इन्दौर,दिनांक 11/05/2020

//आदेश//

इन्दौर शहर के नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोरोना वायरस की परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/567/रीएडीएम/2020 इन्दौर, दिनांक 29–3–2020 के माध्यम से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत् लॉकडाउन/कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है।

आम रहवासियों एवं सामान्य बिमारियों से पीड़ित जनता की आवश्यकता को ध्यान में ररखते हुए स्पेशियलिटी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स को निम्नलिखित बिन्दुओं के अधीन खोले जाने हेतु आदेशित किया जाता है:–

इन बिन्दुओं का पालन वर्तमान कोविड–19 के समय अनिवार्य होगा।

1– यह संस्थाएं कंटेंनमेंट झोन में नहीं खोली जा सकेगी और न ही कोई मैनेजमेंट/हेल्थ स्टॉफ कंटेनमेंट एरिया से उक्त संस्था में आ जा सकेगा।

2– प्रत्येक संस्था का प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) में आने वाले मरीजों को सुरक्षित दो गज की दूरी पर निशान बनाकर चिन्हित करना होगा।

3– प्रत्येक मरीज के साथ 01 अटेंडर की अनुमति रहेगी।

4– सभी हेल्थ स्टॉफ एवं डॉक्टर को मास्क पहनना एवं आवश्यक सावधानियॉ रखना अनिवार्य होगा।

5– अस्पताल में आने वाले मरीजों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

6– अस्पताल के प्रवेश द्वार पर थर्मल गन के द्वारा टेम्प्रेचर लिया जावेगा एवं हाथ धोने के बाद ही मरीज को प्रवेश दिया जावेगा। आवश्यकता होने पर मरीजों की लाईन एवं भीड़ को नियंत्रण हेतु अस्पताल के बाहर छााया की व्यवस्था की जा सकेगी एवं अस्पताल के अंदर एक समय में पांच पेशेंट ही रह सकेंगे। इन सभी व्यवस्था हेतु पृथक से स्टॉफ की व्यवस्था की जानी है।

7– अस्पताल में सेंट्रल ए.सी. का प्रयोग कम से कम किया जावे एवं धूप/प्रकाश की आने जाने की व्यवस्था रखेंगे।

8– अस्पताल को प्रत्येक दिन सोडियम हाईपोक्लोराईड के 1 प्रतिशत साल्यूशन से डिस इन्फेक्शन किया जावेगा।

9– अस्पतालों के बायो–मेडिकल वेस्ट का निपटान नियमानुसार करना होगा।

10– यथा संसभव डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जावे।

Collector & District Magistrate
सत्यमेव जयते
Indore, INDORE (M.P.)

District Magistrate
District Indore (M.P.)

Scanned by CamScanner

11— प्रत्येक हास्पिटल सेंटर के लिए अनिवार्य होगा कि वे सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों वाला कोई मरीज होने पर सी.एम.एण्ड एच.ओ. कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे एवं ऐसे मरीजों को यलो श्रेणी के अस्पताल में भेजेंगे।

12— समस्त डॅाक्टर/स्टॉफ एवं आने वाले मरीजों के लिए **आरोग्य सेतु एप्प** डॉउनलोड करना अनिवार्य होगा।

13— अस्पताल प्रारंभ करने के पूर्व अर्थात आज से दो दिवस तक सफाई—सेनेटाईजेशन अनिवार्यतः किया जाय।

उक्त बिन्दुओं का पालन हेतु एस.डी.एम. द्वारा समय—समय पर निरीक्षण किया जावेगा एवं किसी भी बिन्दु का उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ0कमांक/1087/री.ए.डी.एम./2020/ इन्दौर, दिनांक 11/05/2020

प्रतिलिपि—

1— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.
2— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
3— आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर.
4— पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर.
5— आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर.
6— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर.
7— समस्त अपर जिला दण्डाकिारी/अपर कलेक्टर (नियमित/संसलग्न)
8— समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नियमित/संलग्न)
9— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर.
10— डीन, एमजीएम मेडीकल कालेज, इन्दौर.
11— संबंधित श्री — — — — — — — — — — — — — —की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

Scanned by CamScanner